






पालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु० न०:- 18 / 2019

तारीखरजू:- 11-12-19

उनवान:- रामकिशन बनाम तहसीलदार

प्रार्थना पत्र धारा 251 ए आर. टी. एक्ट

दिनांक	फर्द अहकाम
11/12/19	<p>वादी की और से श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट ने प्रार्थना पत्र बावत रास्ता अन्तर्गत धारा 251 ए आर. टी. एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया। अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तहसील क्षेत्र टोडाभीम को जरिए तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम से बाहार के सम्मन जरिए प्रार्थी रजिस्टर्ड ए.डी. खर्च पर जरिये सम्मन नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 07.01.2020 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">                       उप जिला कलक्टर                      टोडाभीम जिला करौली                 </p>
7.1.20	<p>प्रार्थी वकील उप०/अप्रार्थी की ओर से ओरिसे आफिस कास्को उपस्थित। P.O सा० धुनानकार से करौली पधारे श्री आइना दि० 24-1-20 को पेश हो।</p>
24.1.20	<p>प्रार्थी वकील एवं पैरोकार सरकार की ओर से आफिस कास्को उप०/जबाब रिपोर्ट पेश करने मौवा चहा। समय दिया गया। जबाब रिपोर्ट पेश करने दिनांक 12.2.20 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"></p>
13.2.20	<p>प्रार्थी वकील एवं पैरोकार सरकार उप०/रिपोर्ट पेश करने समय चहा। समय दिया गया। रिपोर्ट पेश करने दिनांक 25.2.20 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"></p>
25.2.20	<p>वादी वकील/वकील उच्च पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी..क्षेत्र.काशा.प्रा.इ प्रार्थना पत्रावली गतानुसार दिनांक.17.3.20..... को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"></p>
17.3.20	<p>प्रार्थी वकील व पैरोकार सरकार उप०/रिपोर्ट पेश करने एक मौवा चहा। मौवा दिया गया। रिपोर्ट पेश करने दिनांक 13.4.20 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"></p>
24.8.20	<p>लोक डाउन व बा० के कार्य स्थान के पश्चात जनरल तारीख से पत्रावली पेश हुई। पैरोकार सरकार व वादी वकील उप०/जबाब रिपोर्ट पेश करने एक मौवा चहा। P.O सा०</p>

# न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

10.2.21 दादी नकील एवं चैरोमा सरकार उपस्थित ।  
बहस सुनी गई। बहस सुनकर दस्तवेजो का आवलोकन  
किया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 A RTA का खीका  
किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जा रहा  
शामिल किया गया। पत्रावली के साथ शुमार होकर नुमा  
से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।



(दुर्गा प्रसाद मीना)  
उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम  
जिला-करौली